प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक: 27 जून, 2025

विषय:- जिला कारागार, बुलन्दशहर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मोहन पुत्र श्री देवेन्द्र निवासी जनपद-बुलन्दशहर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-36891/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-22-11-2024) दिनांक-05-12-2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, बुलन्दशहर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मोहन पुत्र श्री देवेन्द्र, जो बैराफिरोजपुर, थाना-स्याना, जनपद-बुलन्दशहर का निवासी है। मेड़ चकरोड तोड़ने के विवाद के कारण बन्दी ने दिनांक 08/09.07.1997 को अपने 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कुल्हाड़ी, तलवार, फर्शा व गडासां से वारकर 04 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी० नं०-914, 910/1997, भा0द0वि0 की धारा-148,302/149 व 25/4 ए एक्ट में मा० द्वितीय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बुलन्दशहर के आदेश दिनांक 15.07.2000 द्वारा मृत्युदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, के आदेश दिनांक 23.01.2002 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुए मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक-16.02.2024 तक अपरिहार 17 वर्ष, 04 माह, 05 दिन तथा सपरिहार 20 वर्ष, 10 माह, 16 दिन की की सजा भोगी गयी है।

3- अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), बुलन्दशहर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 01.10.2024 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि० एल० जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है, जो समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी द्वारा समय से पूर्व रिहा होने पर अपराध कारित करने की पूर्ण सम्भावना होने, बन्दी को जेल में और आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में मेड़ चकरोड तोड़ने के विवाद के कारण बन्दी ने दिनांक 08/09.07.1997 को अपने 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कुल्हाड़ी, तलवार, फर्शा व गडासां से वारकर 04 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी मोहन पुत्र श्री देवेन्द्र को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, बुलन्दशहर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मोहन (बन्दी संख्या-85/2015) पुत्र श्री देवेन्द्र निवासी जनपद-बुलन्दशहर को यू०पी० प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-645/2025/2110(1)/22-2-2024 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, बुलन्दशहर।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) सं0-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन(क्रिमि0) सं0-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दि□नांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-645/2025/2110/22-2-2024-17(576)/2024

दिनांक: 27 जून, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, बुलन्दशहर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मोहन पुत्र श्री देवेन्द्र, जो बैराफिरोजपुर, थाना-स्याना, जनपद-बुलन्दशहर का निवासी है। मेड़ चकरोड तोड़ने के विवाद के कारण बन्दी ने दिनांक 08/09.07.1997 को अपने 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कुल्हाड़ी, तलवार, फर्शा व गडासां से वारकर 04 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी० नं०-914, 910/1997, भा0द0वि0 की धारा-148,302/149 व 25/4 ए एक्ट में मा० द्वितीय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बुलन्दशहर के आदेश दिनांक 15.07.2000 द्वारा मृत्युदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, के आदेश दिनांक 23.01.2002 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुए मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक-16.02.2024 तक अपरिहार 17 वर्ष, 04 माह, 05 दिन तथा सपरिहार 20 वर्ष, 10 माह, 16 दिन की की सजा भोगी गयी है।

अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), बुलन्दशहर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 01.10.2024 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि० एल० जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है, जो समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी द्वारा समय से पूर्व रिहा होने पर अपराध कारित करने की पूर्ण सम्भावना होने, बन्दी को जेल में और आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में मेड़ चकरोड तोड़ने के विवाद के कारण बन्दी ने दिनांक 08/09.07.1997 को अपने 08 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कुल्हाड़ी, तलवार, फर्शा व गडासां से वारकर 04 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी मोहन पुत्र श्री देवेन्द्र को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।